

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

संकल्प

विषय— कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पटना का संशोधित Memorandum of Association एवं Articles of Association की स्वीकृति ।

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-617 के अंतर्गत बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पटना का गठन किया गया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का कार्य पर्यटन विभाग और बिहार सरकार के अन्य विभागों की संपत्तियों और देनदारियों को अधिग्रहित करना और अपने हाथ में लेना, विशेष रूप से, सभी पर्यटक बंगलों, राज्य अतिथि गृहों, निरीक्षण बंगलों, युवा छात्रावासों, अन्य बंगलों, रज्जुमार्गों, पुरातात्विक स्थलों और खान-पान प्रतिष्ठानों को अपने अधिकार में लेना, जो पहले से ही बिहार सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थापित और अनुरक्षित हैं। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उसी को कुशलतापूर्वक और लाभदायक तरीके से संचालित करना। पर्यटन के विकास को सुविधाजनक या गति प्रदान करने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधियों को शुरू करना, संचालित करना और बढ़ावा देना।

2 बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पटना के गठन तथा संचालन Memorandum of Association एवं Articles of Association के अनुरूप की जानी है। Memorandum of Association एवं Articles of Association कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार तैयार किया गया था, जो बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पटना के गठन की तिथि यथा 28.11.1980 से शामिल किया गया है।

3 कंपनी अधिनियम 2013 को दिनांक-30.08.2013 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किये जाने के उपरांत दिनांक-30.01.2019 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 465 जो कंपनी अधिनियम 1965 के निरसन से संबंधित हैं, के उपबंध प्रवृत्त किये गये।

4 निदेशक मंडल द्वारा दिनांक-01.07.2025 को संपन्न 127वीं बैठक में कार्यसूची संख्या 127/12/2025 के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संशोधित Memorandum of Association एवं Articles of Association तैयार करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

5 निदेशक, मंडल की दिनांक-30.03.2026 को संपन्न 129वीं बैठक में कार्यसूची संख्या 129/02/2026 के माध्यम से मौजूदा Memorandum of Association एवं Articles of Association को कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार तैयार किये गये नये Memorandum of Association एवं Articles of

Association से प्रतिस्थापित करने की सहमति प्रदान की गई है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के पत्रांक— 2869 दिनांक— 01.09.2026 द्वारा Memorandum of Association एवं Articles of Association का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। (अनुलग्नक 01 एवं 02)

6. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पटना का संशोधित Memorandum of Association एवं Articles of Association की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक— 30.09.2026 को संपन्न बैठक में मद् संख्या— 15 के रूप में प्रदान की गयी है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह०/—
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—TC/-01/03-.....

पटना, दिनांक:—.....

प्रतिलिपि:— माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—TC/-01/03-.....

पटना, दिनांक:—.....

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/माननीय मंत्री, पर्यटन के आप्त सचिव/सचिव, पर्यटन के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना/निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक —सह— प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य रोपवे निगम लि०, पटना/संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग/मुख्य अभियंता/महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना/अवर सचिव, पर्यटन विभाग/ई—गजट कोषांग एवं विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

05/10/2026